Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सिरोही में पुलिस थाना कोतवाली का उप निरीक्षक 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अप्रेल, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सिरोही इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश कुमार नायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली, सिरोही को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सिरोही इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने की एवज में जगदीश कुमार नायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली, सिरोही द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी सिरोही इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश कुमार नायक पुत्र श्री शंकर लाल निवासी मकान नं0 58, आनन्द नगर, जिला पाली हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली, सिरोही को परिवादी से **2 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी उप निरीक्षक पुलिस द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।